

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20122022-241230 CG-DL-W-20122022-241230

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1944 No. 45] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, सहायक भौतिक चिकित्सक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

7878 GI/2022 (1127)

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता** : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			1.78		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
			स्तर	अचयन पद	के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	01*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।
भौतिक चिकित्साविद	(2022)	सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	स्तर-4 (25500-81100	होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
	*कार्यभार के	अननुसचिवीय	रुपये)।		अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए
	आधार पर परिवर्तन किया				साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और
	जा सकता है।				अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में
					आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक
					की जा सकती है।)
					टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
					गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल
					प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला
					तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और

		लद्दाख, अंडमान और निकोबार
		द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-
		क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
		गई है।
		टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के
		माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की
		दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के
		लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम
		तारीख होगी, जिस तारीख तक
		रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के
		लिए कहा जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और	सीधी भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि
अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	कोई हो
	और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	
	व्यक्तियों की दशा में लागू	
	होंगी या नहीं	
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले
उत्तीर्ण।		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में		टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि
स्नातक या भौतिक चिकित्सा में दो वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ		सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु
डिप्लोमा।		केन्द्रीय सरकार द्वारा
(iii) सम्बद्ध राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद या चिकित्सा शिक्षा		यथाविहित कम से कम दो
महानिदेशालय में पाठ्यक्रम रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।		सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण
(iv) भौतिक चिकित्सक या सहायक भौतिक चिकित्सक या भौतिक		अनिवार्य होगा ।
चिकित्सा तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम		
प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के		
विवेकानुसार अनुसूचित जातियौँ और अनुसूचित जनजातियों के		
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के		
किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए		
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना		
नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:
द्वारा।	केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:
टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण
अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन	किए हुए हैं; या

एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:-

- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और
- (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।
- (ii) केंद्रीय सरकार के अस्पताल या मान्यताप्राप्त संस्थान में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रुपये) में नियमित आधार पर सहायक भौतिक चिकित्सक या भौतिक चिकित्सक तकनीशियन या मूल काडर या विभाग में समतुल्य;
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/-रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो: और
- (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
	लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पृष्टि समिति(पृष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से	लागू नहीं होता।
मिलकर बनेगी:-	
1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान,	
चेंगलपट्टु – अध्यक्ष;	
2. उप निदेशक(ऑर्थोपेडिक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान	
संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य;	
3. सहायक निदेशक(सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान	
संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य;	
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान,	
चेंगलपट्टु – सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/17/2019-कुष्ठ] मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Assistant Physiotherapist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Physiotherapist, in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

- **1. Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Assistant Physiotherapist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or
				non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Physiotherapist.	variation	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.
	workload.	Non-Ministerial.		

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	 (ii) Diploma in Physiotherapy with two years course or Bachelor in Physiotherapy issued by the degree Government recognised institute. (iii) The course should be registered in the concerned State Physiotherapy Council or Directorate of Medical Education. (iv) Two years' experience as a Physiotherapist or Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician. 	

from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Note 2: In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the agelimit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

2: The qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least of two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment failing which by deputation. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department. (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Deputation: Officer of the Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Assistant Physiotherapist or Physiotherapist Technician in Central Government hospital or recognised institution on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its comp	osition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for consider confirmation) consisting of :-	ring	Not applicable.
Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Chairman;	
2. Deputy Director (Orthopaedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member;	
3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member;	
4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member.	

[F. No. A-12018/17/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, (विरष्ठ निजी सहायक), भर्ती नियम, 1992 को, जहाँ तक उसका संबंध विरष्ठ निजी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और पिरवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट, निजी सचिव (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5. निरर्हता -** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव	1 (एक) [*]	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7	चयन
	(2022)	'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	(44900-142400 रुपए)	
	*कार्यभार के आधार पर			
	परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई
आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवाब, याद काइ हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	,
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति:
द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रुपए) में आशुलिपिक श्रेणी ।
	जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।
	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता
	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ
	व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की
	गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से
	अधिक से अथवा दो वर्ष से, इसके जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसी
	अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली
	उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी
	कर ली हो।
	प्रतिनियुक्ति:
	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी
	(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए
	हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/-रुपये) या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो मिलकर बनेगी :	निम्नलिखित से	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	- अध्यक्ष;	
2. निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	- सदस्य;	
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	– सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/48/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

- **G.S.R.** 184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1992, in so far it relates to the post of Senior Personal Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether
				selection post or non-selection post.
				non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private	(01)	General Central	Level 7 in the pay	Selection.
Secretary.	One *(2022).	Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	matrix (Rs. 44900- 142400).	
	*subject to variation			
	dependent on the workload			

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by	Promotion:
deputation.	Stenographer Grade I in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with five years regular service in the grade.
	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
	Deputation:
	Officers holding the post of Stenographer under the Central Government, State Government or Union Teritorries
	(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
	(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation /absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

The maximum age limit for appointment by Deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Chairman;	
2. Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute — Member;	
3. Deputy Director/Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute — Member.	

[F. No. A-12018/48/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 185.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 160 के द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1988, को जहां तक उसका सम्बन्ध फिजियोथेरेपी तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में फिजियोथेरेपी तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट, फिजियोथेरेपी तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम ।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फिजियोथेरेपी तकनीशियन ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500- 81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष* के बीच। *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार	1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय सहित 12वी कक्षा उत्तीर्ण। 2.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री। 3.पाठ्यक्रम फिजियोथेरेपी परिषद या सम्बद्ध राज्य आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रीकृत हो 4.किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में फिजियोथेरपिस्ट या सहायक फिजियोथेरपिस्ट या सहायक फिजियोथेरपिस्ट या महायक फिजियोथेरपिस्ट या फिजियोथेरपि तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

			A
		द्वीप और लक्षद्वीप संघ	~
		राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों	
		के लिए विहित की गई	सक्षम प्राधिकारी के
		है।)	विवेकानुसार अनुसूचित
		टिप्पण 2 :- रोजगार	
		कार्यालय के माध्यम से	
		की जाने वाली भर्ती की	
		दशा में आयु सीमा	
		अवधारित करने के लिए	सकती हैं जब चयन के
		निर्णायक तारीख वह	किसी प्रक्रम पर सक्षम
		अंतिम तारीख होगी	प्राधिकारी की यह राय
		जिस तक रोजगार	
		कार्यालय से नाम भेजने	आरक्षित रिक्तियों को
		के लिए कहा गया है।	भरने के लिए अपेक्षित
			अनुभव रखने वाले उन
			समुदायों के अभ्यर्थियों
			के पर्याप्त संख्या में
			उपलब्ध होने की
			सम्भावना नहीं है ।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है,या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 - (21700-69100रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के निम्नलिखित होंगे :-	लेए) जिसमे	लागू नहीं होता ।
1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- अध्यक्ष	
2. उपनिदेशक (आर्थोपेडिक्स), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
3. सहायक निदेशक (शल्य), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	– सदस्य	
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	– सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/16/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

- **G.S.R.** 185.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'C' posts) published in the Gazette of India vide G.S.R No. 160 dated the 16th February, 1989, in so far as it relates to the post of Physiotherapy Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapy Technician, in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Physiotherapy Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification and level in pay matrix. The number of said post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapy Technician.	02 * (2022) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. In case of post being filled up by All-India open Competition it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andman & Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	1. 12 th class pass with science subject from a recognised board or University. 2. Diploma in Physiotherapy (Two years course) or Bachelor Degree in Physiotherapy from a recognised University or Institute. 3. The course should be registered in Physiotherapy Council or concerned State Directorate of Medical Education. 4. Two years experience as a Physiotherapist or Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician in a recognised Hospital. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note: 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: Officers of the Central Government, State Government or Union territories, -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level -3 of the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2: The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering consisting of:	confirmation)	Not applicable.
Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Chairman;	
Deputy Director (Orthopedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member;	
3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member;	
4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member.	

[F. No. A-12018/16/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रेडियोग्राफर (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतु, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन
				पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रेडियोग्राफर ।	1* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	लागू नहीं होता।
	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ख', अराजपत्रित,	(35400-112400	
	परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय।	रुपये)।	
	सकता है।	जगगुत्ताववावा		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वो होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं: क (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी या चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग विज्ञान या एक्स-रे प्रौद्योगिकी या चिकित्सा रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिकी या रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी या रेडियोन्इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से रेडियोग्राफी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या चिकित्सा इमेजिंग	
प्रौद्योगिकी या चिकित्सा प्रौद्योगिकी	
(रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग	
विज्ञान या एक्स-रे प्रौद्योगिकी या चिकित्सा	
रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिकी या रेडियोलॉजी	
और इमेजिंग प्रौद्योगिकी या रेडियो-इमेजिंग	
प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री;	
(ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य	
केंद्र से रेडियोग्राफी के क्षेत्र में एक वर्ष का	
अनुभव।	
टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित	
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो	
लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	
•	
टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम	
प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों	
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की	
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन	
के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी कि यह	
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को	
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन	
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	
उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी निकायों या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300/- रुपये) या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में	
		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाएगा
(12)		(13)
विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल	कर बनेगी-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
1. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	-अध्यक्ष;	आवश्यक नहीं है।
2. निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	–सदस्य;	
3. उप निदेशक(प्रचालन और रखरखाव), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	-सदस्य;	
4. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	-सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/24/2019-कुष्ठ] मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

- **G.S.R.** 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Radiographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiographer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Radiographer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification. -** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radiographer.	*subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400- 112400).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the agelimit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential qualifications: A (i) Diploma in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray Technology or Medical Radiologic Technology or Radio-imaging Technology from a recognised University or institute; (ii) Two years experience in the field of Radiography in a recognised Hospital or Health Centre; or B (i) Bachelor Degree in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray Technology or Medical Radiologic Technology or Radio-imaging Technology or Radio-imaging Technology from a recognised University or institute; (ii) One year experience in the field of Radiography in a recognised Hospital or Health Centre. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory bodies or University or public sector undertakings or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level-5 in pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification and experienced prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consist of: -	ing Consultation with Union Public Service Commission
Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Chairm	is not necessary.
Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member	er;
Deputy Director (Operations and Maintenance), Directorate General of Health Services - Member	er;
Director, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu - Memb	er.

[F. No. A-12018/24/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.िन. 187.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिमी बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों) भर्ती नियम, 1985 को, जहाँ तक उसका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ